रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 1997/वैशाख 17, 1919
No. 290] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 1997/VAISAKHA 17, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व मंत्रालय)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1997

आयकर

का. आ. 371 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 1997 है ।

(ii) ये 1 अप्रैल, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 67 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिधान की रीति निम्नलिखित है, अर्थात्

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	विनिधान योग्य धन राशि का 25 प्रतिशत,
(ii) (क) किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरि भाषित सरकारी प्रतिभूतियों में, और या (ख) नीचे (iii) (क) के अन्तर्गत जो आते हैं उनके सिवाए किन्हीं अन्य परक्राम्य प्रतिभूतियों में जिनका मूलधन और उस पर ब्याज, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से और बिना किसी शर्त के प्रत्याभूत है।	विनिधान योग्य धनराशि का 15 प्रतिशत
(iii) (क) लोक वित्तीय संस्था या पब्लिक सैक्टर कम्पनी या पब्लिक सैक्टर बैंक के बंधपत्रों / में	विनिधान योग्य धनराशि का चालीस प्रतिशत

(ख) पब्लिक सैक्टर बैंकों द्वारा जारी किए गए निक्षेप प्रमाणपत्र

(iv) न्यासियों द्वारा यथाविनिश्चित किए गए उपरोक्त तीन प्रवर्गों में से किसी विनिधान योग्य धनराशि का बीस प्रतिशत में विनिधान किया जाना

परन्तु जहां कोई धनराशि, इस उपनियम के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iv) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्व विनिधान की परिपक्वता पर प्राप्त की जाती है, ऐसी धनराशि, आबद्धकर जावक घटा कर, इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति के अनुसार विनिहित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विशेष निक्षेप स्कीम पर प्राप्त ब्याज, विशेष निक्षेप स्कीम में ही विनिहित किए जाएंगे । उसी तरह अन्य प्रवर्गों के अधीन प्राप्त ब्याज उसी प्रवर्ग में पुनः विनिहित किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि 31 मार्च, 1997 के पश्चात् लेकिन इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख को या उससे पूर्व । अक्तूबर, 1996 से 31 मार्च 1997 तक इस निमित प्रवृत्त विनिधान की रीति के अनुसार विनिहित कोई रकम इस उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति में विनिहित की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 : इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति, पूर्व वर्ष में निधि की विनिधान योग्य धनराशि की सकल रकम को लागू होगी।

स्पष्टीकरण 2 : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "लोक वित्तीय संस्था" पद के, वही अर्थ होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 क में उसे समनुविष्ट है।

(ii) "पब्लिक सैक्टर कंपनी" पद के, वही अर्थ होंगे जो आय कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (36क) में उसे समनुविष्ट है, और

(iii) "पब्लिक सैक्टर बैंक" पद के, वही अर्थ होंगे जो आय कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ध) में उसे समनुविष्ट है।

[फा. सं. 142/28/97-टीपीएल/10346]

जय राज काजला, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और में उनमें अन्तिम संशोधन का.आ.सं. 352(अ) तारीख 28-4-97 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th May, 1997
INCOME-TAX

S.O. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax(Seventh Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the first day of April, 1997.

2. In Income-tax Rules, 1962, in rule 67, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) The manner of investment referred to in sub-rule (1) is the following, namely :—

(i)	in Central Government Securities	Twenty-five per cent of the investible moneys
(ii) (a)	in Government securities as defined in Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), created and issued by any State Government; and/or	Fifteen per cent of the investible moneys.
(b)	in any other negotiable securities, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except those covered under iii (a) below.	
(iii) (a)	in bonds/securities of a public financial institution or of a public sector company or of a public sector bank	Forty per cent of the investible moneys.
(b)	certificate of deposits issued by public sector banks.	
(iv)	to be invested in any of the above three categories as decided by the Trustees.	Twenty per cent of the investible moneys:

Provided that where any moneys are received on the maturity of earlier investment specified under clause (i), clause (ii) and clause (iv) of this sub-rule,such moneys, reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the manner of investment specified in this sub-rule:

Provided further that the interest received on the Special Deposit Scheme shall be invested in the Special Deposit Scheme itself. Similarly, interest received under other categories may be re-invested in the same category:

Provided also that any amount invested after 31st March, 1997, but on or before the date of issue of this notification in accordance with the manner of investment in force in this behalf from 1st day of October, 1996 to 31st March, 1997 shall be deemed to have been invested in the manner specified in this sub-rule.

Explanation 1. The manner of investment specified in this sub-rule shall apply to the aggregate amount of investible moneys with the fund in the previous year.

Explanation 2. For the purposes of this sub-rule,-

(i) the expression "public financial institution" shall have the meaning assigned to it in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ii) the expression "public sector company" shall have the meaning assigned to it in clause (36A) of section 2 of the Income-tax Act; and

(iii) the expression "public sector bank" shall have the meaning assigned to it in clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act."

[F.No. 142/28/97-TPL/10346]
JAI RAJ KAJLA, Under Secy.

Foot Note :—The principal rules were published vide Notification S.O. No. dated 26-3-1962 and last amended by notification published under S.O. No. 352(E) dated 28-4-97.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997